

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24032025-261877  
SG-DL-E-24032025-261877असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2025/फाल्गुन 29, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 446
No. 93]	DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2025/PHALGUNA 29, 1946	[N. C. T. D. No. 446

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIस्वास्थ्य एवं परिवार विभाग  
(परिवार कल्याण निदेशालय)  
अधिसूचना

दिल्ली, 19 मार्च, 2025

फा0 सं0 6(1012)/एमएच/डीएफडब्ल्यू/2021-22/(पार्ट फा0-1)/1310-38— स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 10 जून, 2024 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित गर्भ चिकित्सीय समापन (संशोधन) नियमावली के प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2024 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन को अधिसूचित करते हैं— :

## संशोधन :

प्रपत्र-II के खंड ख के उपखंड (ड) में

“मानसिक मंदता” शब्दों के स्थान पर “बौद्धिक दिव्यांगता वाली महिलाएं” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

राजेश कुमार, उप-सचिव

**DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(Directorate of Family Welfare)****NOTIFICATION**

Delhi, the 19th March, 2025

**F.6(1012)/MH/DFW/2021-22 (Part File-1)/1310-38.**— Pursuant to provisions of the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Rules, published vide notification dated 10th June, 2024 published in the Gazette of India by Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby notify the following amendment in the Notification issued by Government, published in the Delhi Gazette on 18th January, 2024.

**Amendment:**

In Form-II, in sub-clause (e) of Clause B:

For the words "mental retardation", the words "women with intellectual disability" shall be substituted.

This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

RAJESH KUMAR, Dy. Secy.